भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2024

क्रमांक 573 /मप्रविनिआ/2024. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के साथ पठित धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एमपीईआरसी (राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान अर्थात् सब्सिडी भुगतान करने की रीति) विनियम, 2007 अधिसूचित किया था। अब, आयोगद्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार केद्वारा 26 जुलाई, 2023 को अधिसूचित विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 के साथ संरेखित करने के लिए उपरोक्त विनियमों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसलिए, आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है -

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान अर्थात् सब्सिडी भुगतान करने की रीति) (पुनरीक्षण-I), विनियम, 2024 {आरजी-32 (I), 2024}

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवंप्रारंभ:-**

(1) इन विनियमों को **"मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान अर्थात् सब्सिडी भुगतान करने की रीति) (पुनरीक्षण-I), विनियम, 2024 {आरजी-32 (I), 2024}"** कहा जावेगा।

(2) ये विनियम मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में इसके प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

(3) ये विनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होंगे।

(4) ये विनियम मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत देय राज्यानुदान (सब्सिडी), यदि कोई हो, पर लागू होंगे।

2. **परिभाषा:-**

(1) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(2) **"लाभार्थी"** से अभिप्रेत है, कोई भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं का वर्ग जिसे अधिनियम की धारा 65 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान (सब्सिडी) दी जाती है।

(3) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(4) **"वितरण लाइसेंसधारी"** से अभिप्रेत है, अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित करने और बनाए रखने के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी;

(5) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सरकार।

(6) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियम में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) और उसके संशोधनों में परिभाषित है।

3. विनियमों का प्रयोजन:-

इन विनियमों का प्रयोजन राज्यानुदान (सब्सिडी) लेखांकन की प्रक्रिया और राज्यानुदान (सब्सिडी) भुगतान के तरीके को निर्दिष्ट करना है जिसमें अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा।

4. लेखांकन और राज्यानुदान (सब्सिडी) भुगतान की रीति:-

(i) आयोग द्वारा धारा 62 के अंतर्गत यथा अवधारित टैरिफ में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित परित्याग या छूट या कमी से प्रभावित किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये किसी प्रत्यक्ष अनुदान से राज्यानुदान की रचना होगी।

(ii) राज्य सरकार यदि कोई राज्यानुदान (सब्सिडी) देना चाहती है, तो वह आयोग और वितरण लाइसेंसधारियों को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी (जिन्हें वह राज्यानुदान (सब्सिडी) देना चाहती है) के लिए टैरिफ सब्सिडी प्रति यूनिट (kWh/kVAh) के आधार पर और/या प्रति किलोवाट/kVA/HP के आधार पर (निश्चित शुल्क, यदि कोई हो) घोषित करेगी।

(iii) अधिनियम की धारा 65 के तहत देय राज्यानुदान (सब्सिडी) का लेखांकन इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।

(iv) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति तिथि से तीस दिनों के भीतर आयोग को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट में शामिल होंगे:-

क) राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्यानुदान (सब्सिडी) वाली श्रेणी द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा और उपभोक्ता श्रेणीवार प्रति यूनिट राज्यानुदान (सब्सिडी) के आधार पर संबंधित तिमाही में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उठाई गई वास्तविक राज्यानुदान (सब्सिडी) मांगें;

ख) अधिनियम की धारा 65 के अनुसार राज्यानुदान (सब्सिडी) का वास्तविक भुगतान

ग) देय और भुगतान की गई राज्यानुदान (सब्सिडी) में अंतर/अधिशेष के साथ-साथ आयोग द्वारा मांगे गए अन्य प्रासंगिक विवरण।

(v) आयोग त्रैमासिक रिपोर्ट की जांच करेगा, और त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीस दिनों के भीतर सुधार, यदि कोई हो, के साथ इसे जारी करेगा। बिना मीटर वाली और/या अनुमानित खपत और वितरण लाइसेंसधारी से ऊर्जा ऑडिट रिपोर्ट की अनुपलब्धता के मामले में, आयोग राज्यानुदान (सब्सिडी) की गणना करने के लिए अपनी स्वयं की मान्यता बनाएगा और आयोग

द्वारा इस तरह अंतिम रूप दी गई रिपोर्ट अंतिम होगी और वितरण लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगी।

(vi) वितरण लाइसेंसधारी राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग को तिमाही आधार पर देय राज्यानुदान (सब्सिडी) का बिल तिमाही के लिए भुगतान की गई राज्यानुदान (सब्सिडी) को समायोजित कर आयोग को एक प्रति के साथ जारी करेगा। यह प्रक्रिया संबंधित तिमाही की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर आवश्यक बिलिंग और संग्रहण विवरण के साथ पूरी की जाएगी।

(vii) राज्य सरकार का ऊर्जा विभाग पिछली तिमाही के लिए वितरण लाइसेंसधारी से राज्यानुदान (सब्सिडी) बिल की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पिछली तिमाही के लिए मिलान किये गये राज्यानुदान (सब्सिडी) का शेष भुगतान सुनिश्चित करेगा। अगली तिमाही के अग्रिम राज्यानुदान (सब्सिडी) का भुगतान किया जाएगा और इसे पिछली तिमाही के राज्यानुदान (सब्सिडी) बिल के निपटान से नहीं जोड़ा जाएगा।

(viii) पूर्ण टैरिफ (राज्यानुदान (सब्सिडी) के बिना) पर बिल जारी करने की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार बिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 और उसके संशोधनों के अनुसार 30 दिनों की अवधि से अधिक शेष या उपभोक्ताओं की देयताओं के आस्थगन संबंधी भुगतान में देरी की अवधि के लिए विलंबित भुगतान अधिभार की दर पर ब्याज भी देगी।

(ix) यदि राज्यानुदान (सब्सिडी) का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है, तो वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को बिल देंगे।

(x) यदि राज्यानुदान (सब्सिडी) लेखांकन और राज्यानुदान (सब्सिडी) के लिए बिल जारी करना अधिनियम या नियमों, या उसके तहत जारी विनियमों के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो वितरण लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देने के बादआयोग अधिनियम की धारा 142 के तहत गैर-अनुपालन के लिए संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा।

(xi) वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता बिल पर प्रति यूनिट पूर्ण लागत टैरिफ और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राज्यानुदान (सब्सिडी) दोनों का अलग-अलग उल्लेख करेंगे।

5. **संशोधन करने की शक्ति :-**

आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल, परिवर्तित, संशोधित या सुधार कर सकता है।

6. **निरसन और बचत:-**

(i) विनियम अर्थात् "मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान अर्थात् राज्यानुदान (सब्सिडी) भुगतान करने की रीति) विनियम, 2007 (2007 का जी-32)" दिनांक 11 मई के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक 821/एमपीईआरसी/2007 द्वारा प्रकाशित।

जैसा कि इन विनियमों की विषय वस्तु पर लागू होता है, को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ii) इन विनियमों में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो आयोग की अंतर्निहित शक्ति को ऐसे आदेश देने के लिए सीमित या अन्यथा प्रभावित करता है जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(iii) इन विनियमों में कुछ भी आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर किसी मामले या मामलों के वर्ग और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन मानता है।

(iv) इन विनियमों में कुछ भी, स्पष्ट या निहित रूप से, आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से निपट सकता है जैसे उचित समझता है।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.

Bhopal, the 28th February 2024

No. /MPERC/ 2024/ 573 In exercise of the powers conferred by Section 181 (1) read with Section 65 of the Electricity Act, 2003, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission had notified MPERC (Manner of payment of subsidy by State Government) Regulation, 2007. Now, the Commission has decided to repeal the above Regulations to align these with Electricity (Second Amendment) Rules, 2023notified on 26th July,2023 by the Ministry of Power, Government of India. Therefore, the Commission makes following Regulations namely Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Manner of payment of subsidy by the State Government) (Revision-I) Regulations, 2024.

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Manner of payment of subsidy by the State Government) (Revision-I) Regulations, 2024 {RG-32 (I) of 2024}.

1. Short Title and Commencement:-

(1) These Regulations shall be called the **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Manner of payment of subsidy by State Government)(Revision-I) Regulations, 2024"{RG-32 (I) of 2024}**.